**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)**

**लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015**

पीठासीन अधिकारी : **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : **176/2015**

| वादी :- | बनाम | प्रतिवादी :- |
|---|---|---|
| 1. रामलाल पुत्र गाजीराम<br>जाति–कुमावत,<br>निवासी– आसरलाई<br>तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.) | | 1. राजस्थान सरकार के जरिये<br>तहसीलदार, जैतारण |

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 10/06/2015**

उपस्थितः. 1. वादी स्वयं उपस्थित ।
2. प्रतिवादी उपस्थित।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 10/06/2015**

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र – आसरलाई पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादीगण ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा– आसरलाई, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1515, 1518 रकबा 39–14, 7–03 के बीघा की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1515 वादी का नाम रावत दर्ज हैं। अज्ञानतावश दस्तावेजात में रावत दर्ज करवा दिया था जो वादी का बोलता नाम था। जबकि वादी का वास्तविक नाम रामलाल पुत्र गाजीराम सही हैं। खसरा नम्बर 1518 में वादी का नाम छोड़ दिया हैं अर्थात् दर्ज नहीं किया हैं। वाद–पत्र के ताईद में दस्तावेजात रामलाल पुत्र गाजीराम का चुनाव फोटो परिचय पत्र, आधार कार्ड, प्रमाणित जमाबन्दी की छाया प्रतियाँ भी प्रस्तुत की, जिससे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम के स्थान पर रामलाल पुत्र गाजीराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। आज दिनांक 10/06/2015 को ही वादी पक्षकार रामलाल पुत्र गाजीराम कौम–कुम्हार निवासी–आसरलाई के खसरा नम्बर 1515 व 1518 में खातेदारी भूमि के संबंध में जांच की गई। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम–आसरलाई के खसरा नम्बर 1515 में वादी का नाम रामा के स्थान रावत दर्ज कर दिया गया हैं एवं खसरा नम्बर 1518 में वादी का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हैं। वदी पक्षकार के पिता गाजीराम की मृत्यु के पश्चात् नामा0 संख्या 253 दायर किया गया, जिसमें वादी एवं वादी के चार भाईयों के नाम दर्ज किय गये, जो जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032 में दर्ज हैं। लेकिन जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 बनाते समय के खसरा नम्बर 1515 में पक्षकार का नाम रामा के स्थान पर रावत दर्ज कर दिया गया एवं खसरा नम्बर 1518 में वादी पक्षकार का नाम पीछे छोड़ दिया, जो पुनः दर्ज किया जाना उचित हैं तथा खसरा नम्बर 1515 मे रावत के स्थान पर शुद्ध नाम रामलाल पुत्र गाजीराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा बाद पहिचान पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा–ए–आम लोक अदालत शिविर– आसरलाई में जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत तस्दीकसुदा उक्त दस्तावेजात अनुसार गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी का वास्तविक नाम रामलाल पुत्र गाजीराम होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक साक्ष्य सबूत के उक्त दस्तावेजात स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम रावत जाति– कुमावत निवासी– आसरलाई के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम रामलाल पुत्र गाजीराम दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

## –:: आदेश ::–

अतः माफिक दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– आसरलाई, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1515, 1518 रकबा 39–14,7–03 बीघा भूमि के खसरा नम्बर 1518 में वादी पक्षकार का नाम पीछे छोड़ दिया, जो पुनः दर्ज किया जावें। खसरा नम्बर 1515 में रावत के स्थान पर शुद्ध नाम रामलाल पुत्र गाजीराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र आसरलाई में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :-

1. रामलाल पुत्र गाजीराम
   जाति-कुमावत,
   निवासी- आसरलाई
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार के जरिये
   तहसीलदार, जैतारण

**मु0न0 :रा0वा0 स0: 176/2015**

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-आसरलाई, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1515, 1518 रकबा 39-14,7-03 बीघा भूमि के खसरा नम्बर 1518 में वादी पक्षकार का नाम पीछे छोड़ दिया, जो पुनः दर्ज किया जावें। खसरा नम्बर 1515 में रावत के स्थान पर शुद्ध नाम रामलाल पुत्र गाजीराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र **आसरलाई** में आज तारीख **10/06/2015** को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

| मुद्धई | रूपये | पैसे | मुद्धायलाह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | | मुत्फरिक | | |
| मिजानः- | | | मिजानः- | | |

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner